

रजिस्ट्रेशन नम्बर एस०एस०पी०/एल०

डब्लू०/एन०पी० 91/2011 13

लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

## उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

### असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—2, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अध्यादेश)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 16 अगस्त, 2012 श्रावण 25, 1934 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग-1

संख्या 597/79—वि-1—12-2(क)6-2012 लखनऊ, 16 अगस्त , 2012

> <u>अधिसूचना</u> विविध

संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदेत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल महोदय ने निम्नलिखित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2012 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 6 सन् 2012) प्रख्यापित किया है जो इस अधिसूचना द्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया है।

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश 2012

(उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 6 सन् 2012)

(भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में राज्यपाल द्वारा प्रख्यातीक

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम. 1973 का अग्रनर नहीं ने करने के

अध्यादेश

चूँकि राज्य विधान मण्डल सन्न में नहीं है और राज्यपाल का का साम हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण उन्हें तुरन्त कार्यवाही करना जानम्यक हो गया है:

अतएव, अब. भारत का संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) हार प्रवत शक्ति का प्रयोग करके. राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते है

1-यह अध्यादेश उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2012 सक्षित्र नाम : कहा जाएगा।

लिए

उत्तर प्रदेश ।
अधिनियम संख्या
29. सन् 1974 द्वारा
यथा संशोधित एवं
पुनः अधिनियमित
राष्ट्रपति अधिनियम
संख्या 10. सन्
1973 की धारा 4
का संशोधन
धारा 5 का संशोधन

2-- उतर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम. 1973, जिसे आगे, गूल अधिनियम कहा गया है. की धारा 4 में, उपधारा (1-क) में, खण्ड (ङ) में शब्द "मान्यवर श्री कांशीराम जी" के स्थान पर शब्द "ख्वाजा मुईनुद्दीन विश्ती" रख दिये जाएंगे।

3—मूल अघिनियम की धारा 5 में. उपधारा (7) में शब्द "मान्यवर श्री कांशीराम जी" के स्थान पर शब्द "ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती" रख दिये जाएंगे हैं

धारा 7-ख का संशोधन, 4—मूल अधिनियम की धारा 7—ख में शब्द "मान्यवर श्री काशीराम जी" के स्थान पर शब्द "ख्वाजा मुईनुद्दीन विश्ती" रख दिये जाएंगे।

अनुसूची का संशोधन 5—मूल अधिनियम की अनुसूची में, स्तम्भ-2 में क्रम संख्या 11 में अंकित प्रविष्टि में हैं शब्द 'मान्यवर श्री कांशीराम जिए' के स्थान पर शब्द 'ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती' रख दिये जाएंगे।

बी० एल० जोशी, राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से, जकी उल्लाह खाँ, प्रमुख सविव।

#### No. 597(2)/LXXIX-V-1-12-2(ka)6-2012 Dated Lucknow, August 16, 2012

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Rajya Vishwavidyalaya (Sanshodhan) Adhyadesh, 2012 (Uttar Pradesh Adhyadesh Sankhya 6 of 2012) promulgated by the Governor.

## THE UTTAR PRADESH STATE UNIVERSITIES (AMENDMENT) ORDINANCE, 2012

(U.P.ORDINANCE NO. 6 OF 2012)

[Promulgated by the Governor in the Sixty-third Year of the Republic of India]

#### AN

#### ORDINANCE

further to amend the Uttur Pradesh State Universities Act, 1973.

WHEREAS, the State Legislature is not in session and the Governor is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action;

Now, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by clause (1) of Article 213 of the Constitution of India, the Governor is pleased to promulgate the following Ordinance:—

Short title

1. This ordinance may be called the Uttar Pradesh State Universities (Amendment) ordinance. 2012

Amendment of section 4 of the president's Act no. 10 of 1973 as amended and re-enacted by the U.P. Act no. 29 of 1974

2. In section 4 of the Uttar Pradesh State Universities Act. 1973 herein after referred to as the principal Act. in sub-section (1-A), in clause (e) for the words "Manyavar Shri Kanshi Ram Ji" the words "Khwaja Moinuddin Chishti" shall be substituted.

3. In section 5 of the principal Act, in sub-section (7) for the words "Manyavar Shri Kanshi Ram Ji" the words "Khwaja Moinuddin Chishti" shall be substituted

Amendment of section 5

4. In section 7-B of the principal Act for the words "Manyavar Shri Kanshi Ram Ji" the words "Khwaja Moinuddin Chishti" shall be substituted.

Amendment of section 7-B

5. In the Schedule to the principal Act, in the entry appearing at serial no.-11, in Column no.2 for the words "Manyavar Shri Kanshi Ram Ji" the words "Khwaja Moinuddin Chishti" shall be subsituted?

Amendment of the Schedule

B. L. JOSHI, Governor, Uttar Pradesh

By order, ZAKI ULLAH KHAN, Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०—ए०पी० 434 राजपत्र(हि०)—2012—(2455)—599 प्रतिया—(कम्प्यूटर/टा/आफसेट)। पी०एस०यू०पी०—ए०पी० 24 सा० विधायी—2012—(2456)—500 प्रतिया—(कम्प्यूटर/टी/आफसेट)।